

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा—माध्य / स्थिरी—अ / 34848 / 2017

दिनांक: 10.07.2018

निर्देश

विषय:—चाईल्ड केयर अवकाश(CCL) स्वीकृति के सम्बन्ध में

राज्य सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक:एफ.1(6)FD / Rules / 2011 दिनांक 22.05.2018 द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के नियम 103(C) द्वारा "चाईल्ड केयर लीव"(CCL) का प्रावधान किया गया है। चाईल्ड केयर अवकाश स्वीकृति के सम्बन्ध में अधीनस्थ कार्यालयों से मार्गदर्शन हेतु प्रकरण/पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हो रहे हैं, साथ ही यह भी ध्यान में लाया गया है कि पात्र कार्मिकों के चाईल्ड केयर अवकाश(CCL) प्रकरण, जो नियमानुसार इनके द्वारा स्वीकृत किये जाने चाहिए, स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं।

इस संबंध में निम्नांकित निर्देशों का पालन आवश्यक रूप से करते हुए वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.05.2018 का भली—भान्ति अध्ययन/अवलोकन कर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

- (1) यह अवकाश उपार्जित अवकाश (Privilege Leave) की तरह माना जावेगा एवं स्वीकृत किया जावेगा। अतः राजस्थान सेवा नियम भाग द्वितीय Appendix (ix) आईटम संख्या—22 के अन्तर्गत उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी, उन्हें प्रदत्त अवधि (120 दिन की अवधि आहरण वितरण अधिकारी एवं 120 दिन से अधिक विभागाध्यक्ष द्वारा स्वीकृत) तक का चाईल्ड केयर अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। चाईल्ड केयर अवकाश प्रकरण में अवकाश की देयता का पूर्व में भली—भान्ति परीक्षण किया जाकर ही स्वीकृत किया जाये। आहरण वितरण अधिकारी की सक्षमता अवधि से अधिक अवधि के अवकाश प्रकरण ही सक्षम उच्चाधिकरियों को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये जावे। उच्च स्तर पर स्वीकृति योग्य प्रकरणों का भली—भान्ति परीक्षण कर मय आवश्यक दस्तावेज, स्वीकृति हेतु जिला शिक्षा अधिकारी अपनी स्पष्ट अभिशंषा कर ही प्रेषित करें।
2. "चाईल्ड केयर लीव"(CCL) अवधि के दौरान अवकाश पर प्रथान करने से तत्काल पूर्व प्रभावी दर से अवकाश वेतन देय होगा।
3. उक्त अवकाश किसी भी अन्य अवकाश खाते में नामे (Debit) नहीं किया जावे। चाईल्ड केयर अवकाश का खाता पृथक से संलग्न प्रपत्र में संधारित किया जावे एवं इसे सेवा पुस्तिका में चर्चा(Paste) किया जावे।
4. अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी राज्य सरकार के दैनन्दिन कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने, प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रखने, कोई विपरित प्रभाव न पड़ने या राज्य सरकार के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक समझे तो चाईल्ड केयर अवकाश(CCL) स्वीकृत करने से मना कर सकेगा।
5. यह अवकाश एक कलेण्डर वर्ष में तीन बार (Spells) से अधिक नहीं लिया जा सकेगा। एक Spell जो एक कलेण्डर वर्ष में आरम्भ होगा और समाप्त अगले कलेण्डर वर्ष में होगा। वह अवकाश प्रारम्भ वाले कलेण्डर वर्ष का Spell माना जावेगा।

6. सामान्यतः प्रोबेशन द्वेनी कार्मिक को चाईल्ड केर अवकाश(CCL) स्वीकृत नहीं किया जावेगा, परन्तु विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जाता है तो प्रोबेशन अवधि उतने दिन आगे (Extend) होगी, जितनी अवधि का चाईल्ड केर अवकाश स्वीकृत होगा।
7. यह अवकाश उपार्जित अवकाश की तरह माना जावेगा तथा तदनुसार ही स्वीकृत होगा।
8. दिव्यांग सन्तान के प्रकरण में सम्बन्धित महिला कार्मिक से निर्भरता (Dependancy) प्रमाण पत्र अवकाश स्वीकृति से पूर्व किया जाना आवश्यक होगा।
9. स्वयं भी अवकाश स्वीकृत करते समय एवं उच्चाधिकारियों को प्रेषित करते समय यह जांच कर लेवें कि 18 वर्ष तक के दो बच्चों तक की देखरेख के लिए ही आवेदन किया है एवं पूर्व में चाईल्ड केर लीव (CCL) का उपभोग की भी जांच करें। बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की प्रति भी प्राप्त करें।

स्वयं की सक्षमता के अवकाश प्रकरण अनावश्यक रूप से उच्चाधिकारियों को अग्रेषित नहीं किये जावे।

(नित्यल डिल)

आईएएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शासन उप सचिव, शिक्षा(ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. समस्त उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा
4. प्राचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, अजमेर/बीकानेर
5. प्राचार्य, सादुल स्पोट्स स्कूल, बीकानेर/राठशारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर
6. समस्त ग्रुप/अनुभाग अधिकारी, कार्यालय हाजा।
7. वरिष्ठ सम्पादक-शिविर, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब साईट पर अपलॉड करने हेतु
9. रक्षित पत्रावली

(ब्रह्मदत शर्मा)

वित्तीय सलाहकार

माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

ठि. १०.७.२०१४